[2025] 10 एस.सी.आर. 44 : 2025 INSC 1089

गीता

बनाम

कर्नाटक राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 1044/2018)

09 सितम्बर 2025

[बी. वी. नागरत्ना एवं के. वी. विश्वनाथन,* न्यायाधीशगण]

विचारणीय मुद्दा

क्या अपीलकर्ता की धारा 306, भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्धि टिकाऊ है; क्या अपीलकर्ता के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्य इस प्रकार के थे कि उसके द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कृत्यों ने मृत-पीड़िता को आत्महत्या करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं छोड़ा।

शीर्ष टिप्पणियाँ[1]

भारतीय दंड संहिता, 1860 - धारा 306 - आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण - धारा 306 के अवयव कब आकर्षित नहीं होते - मृत-पीड़िता और प्रथम अभियुक्त-अपीलकर्ता तत्काल पड़ोसी थे, तथापि उनके संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे और वे अक्सर आपस में उलझे रहते थे - अभियोजन का मामला कि पीड़िता अपने घर में ट्यूशन कक्षाएँ लेती थी और अपीलकर्ता के घर से लगातार शोर होता था; पीड़िता ने अपीलकर्ता से बार-बार शोर न करने को कहा क्योंकि उससे उसकी ट्यूशन में बाधा पड़ती थी - पीड़िता का आरोप कि अपीलकर्ता ने उसे "कुतिया" कहकर गाली दी और यह भी कहा कि 25 वर्ष की होने के बावजूद उसका विवाह नहीं हुआ है तथा जातिसूचक गालियाँ भी दीं - पीड़िता ने आत्महत्या कर ली - उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज अपीलकर्ता की धारा 306, भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्धि की पुष्टि की, तथापि उसे धारा 3(2)(v), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपराध से बरी किया - चुनौती:

अभिनिर्धारित: 1.1 अपीलकर्ता धारा 306 के अंतर्गत अपराध की दोषी नहीं है। [पैरा 24]

1.2 पड़ोस के झगड़े सामाजिक जीवन में अज्ञात नहीं हैं - वे सामुदायिक जीवन जितने ही पुराने हैं - यद्यपि अभिलेख पर ऐसा साक्ष्य है कि कुछ महीनों की अवधि में पड़ोसी

---

* लेखक

आपस में उलझे रहे - जहाँ पीड़िता को लगता था कि उसकी ट्यूशन कक्षाएँ बाधित हो रही हैं, वहीं अपीलकर्ता के परिवार को भी पीड़िता और उसके परिवार द्वारा अपीलकर्ता के घर के बच्चों को डाँटने की शिकायत थी - न केवल तीखी बहसें हुईं, बल्कि शारीरिक प्रहार के आरोप भी लगे; तथापि अपीलकर्ता को धारा 323 तथा धारा 504 एवं 506 के अंतर्गत अपराधों से बरी कर दिया गया - राज्य द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई। [पैरा 15, 17]

1.3 पीड़िता संवेदनशील व्यक्ति थी और प्रथम अभियुक्त के विरुद्ध संघर्ष में उसे कोई समर्थन नहीं मिला - चूँकि प्रथम अभियुक्त को अपने परिवार का समर्थन प्राप्त था, पीड़िता ने स्वयं को पराजित महसूस किया, जिससे अवसाद की चरम अवस्था में उसने आवेगवश आत्महत्या जैसा अत्यंत कदम उठा लिया। [पैरा 12]

1.4 आगे, यद्यपि पीड़िता ने जातिसूचक गालियों के प्रयोग का आरोप लगाया, तथापि साक्ष्य के अभाव में इस आधार पर सभी पाँच अभियुक्तों (अपीलकर्ता तथा उसके चार पारिवारिक सदस्य अभियुक्त सं. 2 से 5) को बरी कर दिया गया - अन्य चार पारिवारिक सदस्यों को धारा 306 के अंतर्गत अपराध से भी बरी किया गया - स्वयं अपीलकर्ता को भी अवैध जमाव की सदस्यता, दंगा, चोट पहुँचाना, आपराधिक भयादोहन तथा शांति भंग करने के आशय से जानबूझकर अपमान जैसे अपराधों से बरी किया गया - ये बरी होने के आदेश अंतिमता प्राप्त कर चुके हैं - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत बरी होना भी अंतिम हो चुका है। [पैरा 13]

1.5 इसके अतिरिक्त, धारा 306 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध स्थापित करने के लिए, धारा 107 भा.दं.सं. में परिकल्पित विशिष्ट दुष्प्रेरण आवश्यक है, जिसमें अभियुक्त की यह मंशा हो कि उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप संबंधित व्यक्ति आत्महत्या करे - अभियुक्त की सहायता करने, उकसाने या दुष्प्रेरित करने की मंशा का होना धारा 306 को आकर्षित करने के लिए अनिवार्य है - पीड़िता के साथ किया गया उत्पीड़न ऐसा होना चाहिए कि उसने पीड़िता को अपने जीवन का अंत करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प न छोड़ा हो। [पैरा 19, 20]

1.6 जब अपीलकर्ता के परिवार और पीड़िता के परिवार के बीच तीखी बहसें हुईं, तब किसी भी परिवार के किसी सदस्य को अपना जीवन समाप्त करने के लिए दुष्प्रेरित करने की कोई मंशा नहीं थी - ऐसे झगड़े दैनिक जीवन में होते रहते हैं, और तथ्यों के आधार पर ऐसा कोई उकसावा नहीं था कि पीड़िता के पास आत्महत्या करने के अतिरिक्त कोई विकल्प न बचा हो - अपीलकर्ता को धारा 306 के आरोप से बरी किया जाता है - विवादित निर्णय निरस्त। [पैरा 23, 24]

उद्धृत निर्णयजन्य विधि

स्वामी प्रहलाददास बनाम मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य **(1995) सप्ली. 3 एस.सी.सी. 438;**

मदन मोहन सिंह बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य **[2010] 10 एस.सी.आर. 351 : (2010) 8 एस.सी.सी. 628;** *अमलेंदु पाल उर्फ झंटू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य* **[2009] 15 एस.सी.आर. 836 : (2010) 1 एस.सी.सी. 707;** *एम. मोहन बनाम राज्य* **[2011] 3 एस.सी.आर. 437 : (2011) 3 एस.सी.सी. 626;** *रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य* **[2001] सप्ली. 4 एस.सी.आर. 247 : (2001) 9 एस.सी.सी. 618;** *महेंद्र अवासे बनाम मध्यप्रदेश राज्य,* **2025 आई.एन.एस.सी. 76 : [2025] 2 एस.सी.आर. 80 - पर भरोसा किया गया।**

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

प्रमुख शब्दों की सूची

धारा 306, भा.दं.सं.; आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण; धारा 306, भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध का न होना; पड़ोस के झगड़े; सौहार्दपूर्ण संबंधों का अभाव; पड़ोसियों का हमेशा उलझे रहना; जातिसूचक गालियों का आरोप; "डोर"; "मर जाओ कुतिया"; पीड़िता का संवेदनशील होना; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपराध से बरी होना; धारा 107, भा.दं.सं. में परिकल्पित दुष्प्रेरण; अभियुक्त की सहायता/उकसाने/दुष्प्रेरित करने की मंशा का अभाव; उत्पीड़न; प्रत्यक्ष कृत्य; पीड़िता के पास आत्महत्या के अतिरिक्त कोई विकल्प न रहना; अपने जीवन का अंत करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प न होना।

मामले की उत्पत्ति

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता: आपराधिक अपील संख्या 1044/2018

कर्नाटक उच्च न्यायालय, कलबुर्गी में सी.आर.ए. संख्या 3658/2011 में दिनांक 27.04.2018 को पारित निर्णय एवं आदेश से।

अधिवक्तागण

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता:
सुश्री सुप्रीता शरणगौड़ा, शरणगौड़ा पाटिल, ज्योतिष पांडेय, यश एस. तिवारी।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता:
डी. एल. चिदानंद।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

के. वी. विश्वनाथन, न्यायाधीश

गीता बनाम कर्नाटक राज्य

1. वर्तमान अपील कर्नाटक उच्च न्यायालय, कलबुर्गी पीठ, कलबुर्गी द्वारा आपराधिक अपील संख्या 3658/2011 में दिनांक 27.04.2018 को पारित निर्णय को चुनौती देती है। उक्त निर्णय द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज अपीलकर्ता की धारा 306 भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में "भा.दं.सं.") के अंतर्गत दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी। तथापि, अपीलकर्ता को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संक्षेप में "एस.सी./एस.टी. अधिनियम") की धारा 3(2)(v) के अंतर्गत अपराध से बरी किया गया था। जहाँ तक धारा 306 भा.दं.सं. के अंतर्गत लगाए गए दंड का संबंध है, उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा लगाए गए पाँच वर्ष के कारावास के दंड को संशोधित कर तीन वर्ष के कारावास में परिवर्तित करना उचित समझा। तथापि, विचारण न्यायालय द्वारा लगाया गया ₹5,000/- का जुर्माना यथावत रखा गया, तथा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में छह माह के कारावास का दंड निर्धारित किया गया।

2. विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को धारा 306 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध के साथ-साथ एस.सी./एस.टी. अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अंतर्गत अपराध के लिए भी दोषसिद्ध ठहराया था। जहाँ धारा 306 भा.दं.सं. के अंतर्गत पाँच वर्ष का कारावास दंड दिया गया था, वहीं एस.सी./एस.टी. अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा ₹5,000/- के जुर्माने का दंड लगाया गया था।

3. हमने अपीलकर्ता की ओर से माननीय अधिवक्ता श्री शरणगौड़ा पाटिल तथा राज्य की ओर से माननीय अधिवक्ता श्री डी. एल. चिदानंद को सुना है। हमने अभिलेखों का अवलोकन किया है, जिनमें विचारण न्यायालय के अभिलेख भी सम्मिलित हैं।

4. वर्तमान मामला 12.08.2008 को घटित एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना से संबंधित है, जब मृतका-सारिका, पिता पीरजी नारायणकर की पुत्री, ने रात्रि लगभग 10:00 बजे स्वयं को आग लगा ली। उसे उपचार हेतु सरकारी अस्पताल, बीजापुर ले जाया गया। अस्पताल में मृतका ने पी.डब्ल्यू.-16, पुलिस निरीक्षक नागार्जुन के समक्ष कथन दिया, जिसे प्रदर्श पी-8 के रूप में अंकित किया गया। पी.डब्ल्यू.-16 - नागार्जुन ने बयान दिया कि उन्हें बीजापुर जिला अस्पताल से एम.एल.सी. प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया था कि सारिका नामक व्यक्ति जलने की चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती है। चिकित्सक से सारिका के कथन देने के लिए उपयुक्त होने की पुष्टि प्राप्त करने के पश्चात, उन्होंने उसका कथन दर्ज किया और उसका अंगूठा-निशान प्राप्त किया। पी.डब्ल्यू.-19 - डॉ. दिलीपा गंजीहाला ने इस आशय का समर्थन किया कि सारिका सचेत थी और प्रश्नों का उत्तर देने की स्थिति में थी। उसे लगभग 58% जलने की चोटें आई थीं। इसी प्रकार, पी.डब्ल्यू.-20 - डॉ. शिवनागौड़ा पाटिल ने भी बयान दिया कि 13.08.2008 को, जब पी.एस.आई. ने पत्र के माध्यम से यह राय देने का अनुरोध किया कि सारिका कथन देने की स्थिति में है या नहीं, तो उन्होंने कार्यालय प्रति पर यह टिप्पणी की कि घायल कथन देने के लिए उपयुक्त स्थिति में है। उक्त पत्र एवं टिप्पणी को प्रदर्श पी-21 तथा पी-21(a) के रूप में अंकित किया गया।

5. प्रदर्श पी-8 के रूप में अंकित कथन, जो शिकायत एवं एफ.आई.आर. का आधार बना, इस प्रकार है:

> "मेरा स्थान विजयपुर है और मैं उपर्युक्त पते पर रहती हूँ। गीता पत्नी राजू इंदिकार, वे हमारे कॉलोनी में पिछले 6 वर्षों से रह रही हैं, और पिछले 6 महीनों से उन्होंने मेरे घर के सामने स्थित महादेव पोल के मकान में रहना शुरू किया है।
>
> मैंने आई.टी.आई. पूर्ण किया है और वर्तमान में बी.ए. तृतीय वर्ष में अध्ययनरत हूँ। मैं अपने घर में छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। गीता पत्नी राजू इंदिकार के किराये के मकान से, जो हमारे घर के सामने स्थित है, कुछ अन्य लड़के आते-जाते रहते थे और शोर मचाते थे, जिससे मुझे परेशानी होती थी; परिणामस्वरूप मैंने गीता इंदिकार से कहा कि शोर न करें क्योंकि इससे मेरी ट्यूशन बाधित होती है। इस पर वह मुझे 'कुतिया' कहकर गाली देती थी और कहती थी, 'तुम मुझे क्या सलाह देती हो, यह मेरा घर है, हम जो चाहें करेंगे' तथा 'यह डोर कुतिया 25 वर्ष की आयु होने के बावजूद भी शादीशुदा नहीं है'। इस प्रकार जब भी वह मुझे देखती, वह मुझसे अशिष्ट भाषा में बात कर मुझे आहत करती थी। मेरे पिता पीरजी और मेरी माँ रेनुका ने गीता इंदिकार को कई बार समझाया, फिर भी पिछले 6 महीनों से गीता ने मुझे गाली दी और अपमानित किया, जिससे मुझे बहुत ठेस पहुँची।
>
> पिछले रविवार दिनांक 10.08.2008 को, जब मैं अपने भाई संकेत के साथ घर में टीवी देख रही थी, उसी समय गीता इंदिकार वहाँ आई और मुझे तथा मेरे भाई को यह कहते हुए डाँटा कि 'तुमने हमारे लड़के राहुल @ विनायक को क्यों डाँटा, उस छोटे बच्चे ने क्या किया है'। उसके साथ उसकी बहनें 1. माला, 2. मीना, 3. सुहासिनी भी आईं और उन्होंने भी मुझे 'कुतिया' आदि अश्लील शब्दों में गाली दी। उस दिन मेरे भाई और मेरे माता-पिता ने उन्हें समझाया और झगड़ा शांत कराया, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा।
>
> कल दिनांक 12.08.2008 को शाम लगभग 8 बजे, जब मैं, मेरा भाई संकेत और मेरी माँ रेनुका घर के सामने मौजूद थे, तब 1. गीता पत्नी राजू इंदिकार, 2. राजू इंदिकार, 3. माला पुत्री नारायण सिंदगी, 4. मीना पुत्री नारायण सिंदगी, 5. सुहासिनी पुत्री नारायण सिंदगी—ये पाँचों सदस्य हमारे घर के सामने आकर खड़े हुए और मुझे यह कहते हुए गाली देने लगे कि 'तू डोर कुतिया है, अभी तक शादीशुदा नहीं है और हमसे बहस करती है' तथा जान से मारने की धमकी भी दी; इन सभी ने मिलकर मेरी माँ और मुझे हाथों से मारा तथा 'मर जा कुतिया' आदि कहते हुए अपमानित और गाली दी। इससे मुझे मानसिक रूप से बहुत आघात पहुँचा, इसलिए कल 12.08.2008 को रात लगभग 10 बजे मैंने हमारी रसोई से 5 लीटर तेल की केन ली, अपने ऊपर उंडेल ली और

माचिस से आग लगा ली। जब आग लगी और मेरे कपड़े जलने लगे और मैं चिल्लाने लगी, तब मेरी माँ रेनुका, पुलाबाई पत्नी यल्लप्पा और शेरखान बीबी, जो हमारी कॉलोनी की हैं, आईं और आग बुझाई। तब तक मेरे भाई, मेरी माँ और पुलाबाई मुझे ऑटो-रिक्शा से सरकारी अस्पताल विजयपुर ले गए और उपचार हेतु भर्ती कराया। मेरे चेहरे, छाती, पेट, हाथ, पैर, घुटने और जाँघें जल गई थीं और त्वचा उतर गई थी।

उपरोक्त पाँच अभियुक्त पिछले 6 महीनों से मुझसे झगड़ते रहे, मुझे गाली देते रहे और 'यह डोर कुतिया 25 वर्ष की होने के बावजूद भी शादीशुदा नहीं है' कहकर मेरा अपमान करते रहे, और कल 12.08.2008 को वे पाँचों हमारे घर आए और मेरे तथा मेरी माँ को हमारे घर के सामने हाथों से मारा; इसके परिणामस्वरूप मैं मानसिक रूप से अत्यंत परेशान हो गई और मैंने स्वयं के ऊपर केरोसिन तेल डालकर आग लगाई और हमारी रसोई में आत्महत्या करने का प्रयास किया। यह शिकायत उपर्युक्त पाँच व्यक्तियों के विरुद्ध है। कल मुझे बहुत कष्ट हुआ, किंतु अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। यह मैं आपके समक्ष लिखने के लिए बता रही हूँ।"

6. यह देखा जा सकता है कि शिकायतकर्ता ने यह कहा है कि वह अपने घर में छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी; अपीलकर्ता के घर से लगातार शोर होता था और उसने अपीलकर्ता से बार-बार यह सुनिश्चित करने को कहा कि शोर न हो क्योंकि उससे उसकी ट्यूशन में बाधा पड़ती थी। मृतका ने यह कहा कि अपीलकर्ता ने उसे "कुतिया" कहकर गाली दी और यह भी कहा कि वे जो चाहें करेंगे। अपीलकर्ता द्वारा यह भी कहे जाने का आरोप है कि मृतका, 25 वर्ष की होने के बावजूद, विवाहिता नहीं थी। घटना से दो दिन पूर्व, दिनांक 10.08.2008 को, मृतका ने कहा कि जब वह अपने भाई संकेत के साथ घर पर टीवी देख रही थी, तब अपीलकर्ता आई और यह कहते हुए दोनों को डाँटा कि *"तुमने हमारे लड़के राहुल @ विनायक को क्यों डाँटा, उस छोटे बच्चे ने क्या किया है"।* मृतका के अनुसार, अपीलकर्ता अपनी बहनों माला, मीना और सुहासिनी के साथ आई और उसे "कुतिया" कहकर गाली दी। उसने कहा कि उसके भाई और माता-पिता ने उन्हें समझाया, झगड़ा शांत कराया और उसने कुछ नहीं कहा।

मृतका के अनुसार, दिनांक 12.08.2008 को शाम लगभग 8 बजे, जब वह, उसका भाई संकेत तथा उसकी माँ रेनुका उपस्थित थे, तब गीता पत्नी राजू इंदिकार, राजू इंदिकार, माला पुत्री नारायण सिंदगी, मीना पुत्री नारायण सिंदगी तथा सुहासिनी पुत्री नारायण सिंदगी उसके घर के सामने आकर खड़े हुए और उसे यह कहते हुए गाली देने लगे कि *"तू डोर कुतिया है, अभी तक शादीशुदा नहीं है और हमसे बहस करती है",* साथ ही जान से मारने की धमकी दी और हाथों से उसकी माँ तथा उसे मारा तथा *"मर जा कुतिया"* आदि कहते हुए अपमानित किया। मृतका के अनुसार, यह सब उसे मानसिक रूप से आहत कर गया और इस कारण उसने दिनांक 12.08.2008 को रात

लगभग 10 बजे अपनी रसोई से पाँच लीटर तेल की केन ली, अपने ऊपर उंडेल ली और माचिस से स्वयं को आग लगा ली। उसने कहा कि उसकी माँ, पुलाबाई तथा शेरखान बीबी ने आग बुझाई और उसके भाई, माँ तथा पुलाबाई उसे ऑटो-रिक्शा से सरकारी अस्पताल ले गए। मृतका कि 02.09.2008 को, अर्थात घटना के लगभग तीन सप्ताह बाद, उसकी मृत्यु हो गई।

7. विवेचना अधिकारी ने सभी पाँच अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दायर किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं:

1. गीता पत्नी राजू इंदिकार - अपीलकर्ता;

2. राजू पुत्र सिदराम इंदिकार - बाद में बरी हो गए;

3. माला पुत्री नारायण सिंदगी - बाद में बरी हो गए;

4. मीना पत्नी लोकेश अगसार - बाद में बरी हो गए;

5. सुहासिनी पुत्री नारायण सिंदगी - बाद में बरी हो गए;

जिन पर धारा 143, 147, 323, 504, 506 तथा 306 सहपठित धारा 149 भा.दं.सं. एवं धारा 3(1)(xi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया। विचारण के दौरान, आरोप निर्धारण के पश्चात, अभियोजन ने बीस साक्षियों का परीक्षण किया तथा प्रदर्श पी-1 से पी-25 तक दस्तावेज़ एवं भौतिक वस्तुएँ एमओ -1 से एमओ -3 तक चिह्नित की गईं। अभियुक्तों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किए गए।

8. विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात यह पाया कि दिनांक 10.08.2008 की घटना के संबंध में अभियुक्त संख्या 3 से 5 के विरुद्ध कोई विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्य प्रकट नहीं होता। आगे यह भी पाया गया कि दिनांक 12.08.2008 की घटना के संबंध में भी, शिकायत प्रदर्श पी-8 में अभियुक्त संख्या 2 से 5 के किसी प्रत्यक्ष कृत्य का उल्लेख नहीं है। विचारण न्यायालय ने यह माना कि कथन सामान्य एवं समष्टिगत प्रकृति का है और इससे यह प्रकट नहीं होता कि अभियुक्त संख्या 2 से 5 ने अभियुक्त संख्या 1 गीता (अपीलकर्ता) की सक्रिय रूप से सहायता की हो या शब्दों अथवा कृत्यों द्वारा मृतका को चिढ़ाने या परेशान करने में भाग लिया हो, अथवा उनमें मृतका को आत्महत्या के लिए उकसाने की मंशा थी। विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त संख्या 2 से 5 के विरुद्ध अपराध में संलिप्तता स्थापित करने हेतु कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

9. तथापि, विचारण न्यायालय ने यह पाया कि प्रदर्श पी-8 के कथन को पी.डब्ल्यू.-5, 6, 8, 9, 10 तथा पी.डब्ल्यू.-16 की मौखिक साक्ष्य के साथ पढ़ने पर अभियोजन के इस सिद्धांत को बल मिलता है कि अभियुक्त संख्या 1–अर्थात् वर्तमान अपीलकर्ता–ने शब्दों एवं कृत्यों द्वारा मृतका को परेशान किया या चिढ़ाया, जिससे मृतका प्रतिक्रिया

करने के लिए विवश हुई। यह भी पाया गया कि अपीलकर्ता में मृतका को आत्महत्या करने के लिए उकसाने, भड़काने, प्रेरित करने अथवा प्रोत्साहित करने की मंशा थी। विचारण न्यायालय ने यह भी पाया कि मृतका के प्रति आरोपित गालियों के दृष्टिगत, अभियुक्त संख्या 1 धारा 3(2)(v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत दंड के लिए भी उत्तरदायी है। अंतिम विश्लेषण में, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त संख्या 2 से 5 को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

10. अभियुक्त संख्या 1–अपीलकर्ता–को धारा 143 (अवैध जमाव की सदस्यता के लिए दंड), धारा 147 (दंगा करने के लिए दंड), धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुँचाने के लिए दंड), धारा 504 (शांति भंग करने के आशय से जानबूझकर अपमान के लिए दंड), धारा 506 (आपराधिक भयादोहन के लिए दंड) सहपठित धारा 149 (सामान्य उद्देश्य की अभिरक्षा) भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराधों से बरी किया गया। तथापि, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)(v) तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण) के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया। उपर्युक्तानुसार दंड अपीलकर्ता पर आरोपित किए गए।

11. अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक अपील दायर की। जहाँ तक बरी किए जाने का प्रश्न है, राज्य ने विचारण न्यायालय के निर्णय को स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय ने उपलब्ध अभिलेख पर सामग्री अपर्याप्त पाए जाने के कारण अपीलकर्ता को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अंतर्गत अपराध से बरी कर दिया तथा दोषसिद्धि और आजीवन कारावास के दंड को निरस्त कर दिया। यह ध्यान देने योग्य है कि उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण निष्कर्ष दर्ज किया:

> "11. अपीलकर्ता के अधिवक्ता तथा राज्य के अतिरिक्त लोक अभियोजक की दलीलों को सुनने के पश्चात् और जब अपीलित निर्णय पर दृष्टि डाली जाती है, तो यह परिलक्षित होता है कि पीड़िता और प्रथम अभियुक्त-अपीलकर्ता के बीच एक मामूली विवाद, जो घटना से पूर्व छह माह से अधिक समय तक चला, दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर विकृत रूप धारण कर गया। पीड़िता, यद्यपि शिक्षित और सफल महिला थी तथा निजी शिक्षिका के रूप में कार्यरत थी, प्रथम अभियुक्त द्वारा निरंतर झगड़े के रूप में किए गए उत्पीड़न को सहन नहीं कर सकी और उसने आत्महत्या जैसा चरम कदम उठाया। यदि यह मान भी लिया जाए कि अभियुक्त ने वास्तव में पीड़िता का अपमान करने हेतु उसकी जाति का नाम लिया था, तो अभियोजन पक्ष के गवाहों में अधिकांश पड़ोसी, जो उसी समुदाय के सदस्य थे, निश्चित रूप से पीड़िता का समर्थन करते। वस्तुतः केवल एक प्रत्यक्षदर्शी पड़ोसी (पी.डब्ल्यू.6) ने अभियोजन का समर्थन किया, जबकि पी.डब्ल्यू.7, 11 और 15, जो पीड़िता के तीन निकटतम पड़ोसी थे, उन्होंने अभियोजन के उस आरोप का समर्थन नहीं किया कि प्रथम अभियुक्त ने जाति का नाम लेकर अपमान किया।

12. इस पृष्ठभूमि में यह समझा जाना चाहिए कि पीड़िता एक संवेदनशील व्यक्ति थी और जब उसे प्रथम अभियुक्त के विरुद्ध अपने संघर्ष में कोई समर्थन प्राप्त नहीं हुआ; जबकि प्रथम अभियुक्त को अपने परिवार के सदस्यों (अभियुक्त सं. 2 से 5) का समर्थन प्राप्त था, तो पीड़िता अत्यंत दुखी हो गई। यह अनुभव करते हुए कि वह संघर्ष हार गई है, उसने आवेगवश आत्महत्या का चरम कदम उठाया, जो उसके अवसादग्रस्त मनोदशा की पराकाष्ठा थी और अंततः उसकी मृत्यु का कारण बनी। घटना के पश्चात्, पीड़िता ने अपनी शिकायत में यह आरोप लगाया कि उसे जाति का नाम लेकर अपमानित किया गया, किन्तु अधिकांश पड़ोसियों ने इसका समर्थन नहीं किया। उन्होंने केवल इतना कहा कि पीड़िता और प्रथम अभियुक्त, जो तत्काल पड़ोसी थे, आपसी सौहार्दपूर्ण संबंधों में नहीं थे और सदैव झगड़ा करते रहते थे।

13. इस पृष्ठभूमि में, यह न्यायालय पाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत अपराध सिद्ध करने का निष्कर्ष उचित और न्यायसंगत प्रतीत होता है। तथापि, जब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) के अंतर्गत आरोपित अपराध की बात आती है, तो अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर्याप्त नहीं है। इसके बावजूद, अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपराध के लिए प्रथम अभियुक्त को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास का दंडादेश दिया, जो तथ्यपरक स्थिति में तर्कसंगत नहीं है। शिकायत में किए गए कथनों तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों दोनों के आधार पर यह दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं ठहरती।

12. उच्च न्यायालय के निर्णय से यह स्पष्ट है कि:-

A. पीड़िता और अपीलकर्ता के बीच एक छोटा-सा झगड़ा, जो छह माह की अवधि तक फैला हुआ था, दुर्भाग्यपूर्ण दिन एक विकृत रूप ले बैठा। पीड़िता, यद्यपि शिक्षित एवं सक्षम महिला थी और निजी अध्यापिका के रूप में कार्य कर रही थी, प्रथम अभियुक्त द्वारा निरंतर किए गए उत्पीड़न को सहन नहीं कर सकी और उसने आत्महत्या जैसा अत्यंत कदम उठा लिया। अधिकांश पड़ोसियों ने प्रथम अभियुक्त द्वारा पीड़िता की जाति का नाम लेने के संबंध में अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया।

B. यह समझा जाना चाहिए कि पीड़िता एक संवेदनशील व्यक्ति थी और प्रथम अभियुक्त के विरुद्ध संघर्ष में उसे कोई समर्थन प्राप्त नहीं था। इसके विपरीत, प्रथम अभियुक्त को अपने परिवार के सदस्यों–अभियुक्त संख्या 2 से 5–का समर्थन प्राप्त था, जिससे पीड़िता को अत्यंत दयनीय स्थिति का अनुभव हुआ और यह महसूस करते हुए कि वह संघर्ष हार गई है, उसने आवेगवश अवसाद

की चरम अवस्था में आत्महत्या जैसा अत्यंत कदम उठा लिया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई।

C. यह केवल घटना के पश्चात ही था कि पीड़िता ने अपनी शिकायत में यह कहा कि उसे उसकी जाति का नाम लेकर प्रताड़ित किया गया था, जिसे अधिकांश पड़ोसियों का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ; सिवाय इसके कि सभी ने यह कहा कि पीड़िता और प्रथम अभियुक्त तत्काल पड़ोसी थे, उनके संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे और वे हमेशा झगड़ते रहते थे।

13. इसी पृष्ठभूमि में हमें पक्षकारों के माननीय अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आलोक में साक्ष्यों का विश्लेषण करना है। यद्यपि पीड़िता ने जातिसूचक गालियों के प्रयोग का आरोप लगाया था, तथापि साक्ष्य के अभाव में इस आधार पर सभी पाँच अभियुक्तों को बरी कर दिया गया। अन्य चार पारिवारिक सदस्य अभियुक्त संख्या 2 से 5 को धारा 306 के अंतर्गत अपराध से भी बरी किया गया। स्वयं अपीलकर्ता को भी अवैध जमाव की सदस्यता, दंगा, चोट पहुँचाने, आपराधिक भयादोहन तथा शांति भंग करने के आशय से जानबूझकर अपमान जैसे अपराधों से बरी किया गया। ये सभी बरी होने के आदेश अंतिमता प्राप्त कर चुके हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपराध से बरी होना भी अंतिम हो चुका है।

14. हमें केवल यह परीक्षण करना है कि क्या अभियोजन के मामले को उसकी उच्चतम सीमा पर स्वीकार करने पर भी, अपीलकर्ता की धारा 306 के अंतर्गत दोषसिद्धि को बनाए रखा जा सकता है। क्या अपीलकर्ता के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्य इस प्रकार के हैं कि उसके द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कृत्यों ने पीड़िता को आत्महत्या करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं छोड़ा? हमारा उत्तर नकारात्मक है और इसके कारण निम्नलिखित हैं।

15. यद्यपि "अपने पड़ोसी से प्रेम करो" आदर्श स्थिति है, तथापि पड़ोस के झगड़े सामाजिक जीवन में अज्ञात नहीं हैं। वे सामुदायिक जीवन जितने ही पुराने हैं। प्रश्न यह है कि क्या तथ्यों के आधार पर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का मामला बनता है?

16. हमने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण किया है। पी.डब्ल्यू.-5 संकेत, मृतका का भाई, ने व्यापक रूप से शिकायत में वर्णित संस्करण की पुष्टि की। दिनांक 12.08.2008 को घटित घटनाओं के संबंध में उसका वर्णन सामान्य एवं समष्टिगत प्रकृति का है। उसने यह भी स्वीकार किया कि वे पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज कराने नहीं गए। उसने यह भी कहा कि वह उन व्यक्तियों के समूह का हिस्सा था जिन्होंने झगड़े को शांत कराया। पी.डब्ल्यू.-6 फुलाबाई, जो घटना की प्रत्यक्षदर्शी के रूप में उद्धृत की गई पड़ोसी थी, से जिरह में जब यह पूछा गया कि उसने अपने कथन में अपीलकर्ता द्वारा पीड़िता की माँ पर हमला करने और उसके बाल पकड़ने का उल्लेख नहीं किया है, तो उसने कहा कि उसे याद नहीं है। पी.डब्ल्यू.-8 सत्यव्वा @ सक्कुबाई, जो एक पड़ोसी थी, तथा पी.डब्ल्यू.-9 रेनुका, पीड़िता की माँ, ने भी अभियोजन

के समर्थन में बयान दिया। उनका साक्ष्य पीड़िता द्वारा दायर शिकायत की पंक्तियों के अनुरूप है।

17. धारा 306 के अवयव आकर्षित होते हैं या नहीं, इसका परीक्षण करने के लिए, हम अभियोजन के मामले को उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसा वह है। इसे उसकी उच्चतम सीमा पर भी लेने पर, अभिलेख पर निश्चित रूप से ऐसा साक्ष्य उपलब्ध है जिससे यह प्रकट होता है कि कुछ महीनों की अवधि में पड़ोसी आपस में उलझे रहे थे। जहाँ पीड़िता को यह लगता था कि उसकी ट्यूशन कक्षाएँ बाधित हो रही हैं, वहीं अपीलकर्ता के परिवार को भी पीड़िता और उसके परिवार द्वारा अपीलकर्ता के घर के बच्चों को डाँटे जाने की शिकायत थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि न केवल तीखी बहसें हुईं, बल्कि शारीरिक प्रहार के आरोप भी लगाए गए। जहाँ तक शारीरिक प्रहारों का संबंध है, आज अपीलकर्ता धारा 323 के अंतर्गत दंडनीय अपराध से बरी है। वह धारा 504 तथा धारा 506 के अंतर्गत अपराधों से भी बरी है। राज्य द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई है।

18. यदि यह मान भी लिया जाए कि शारीरिक प्रहार किए गए थे, तो क्या मात्र इससे आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण स्थापित हो जाता है? इस न्यायालय ने एक ऐसे मामले में, जहाँ अभियुक्त ने मृतक से कहा था "जाओ और मर जाओ" और उसके पश्चात मृतक ने आत्महत्या कर ली थी, अभियुक्त को धारा 306 के आरोप से मुक्त करते हुए यह कहा था:

> "**3.** ... ये शब्द साधारण प्रकृति के हैं, जो अक्सर झगड़ते हुए लोगों के बीच आवेग की स्थिति में कहे जाते हैं। इसके पश्चात किसी गंभीर परिणाम की अपेक्षा नहीं की जाती। उक्त कृत्य में ऐसा अपेक्षित आपराधिक आशय परिलक्षित नहीं होता कि ये शब्द हर स्थिति में क्रियान्वित होंगे। ..."
>
> **[स्वामी प्रहलाददास बनाम मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य, (1995) सप्ली. (3) एस.सी.सी. 438]**

19. इस न्यायालय ने ***मदन मोहन सिंह*** बनाम ***गुजरात राज्य और अन्य,*** (2010) 8 एससीसी 628 में यह निर्णय दिया कि धारा 306 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध स्थापित करने के लिए, अभियुक्त की ओर से धारा 107 भा.दं.सं. में परिकल्पित विशिष्ट दुष्प्रेरण आवश्यक है, जिसमें उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप संबंधित व्यक्ति की आत्महत्या कराने की मंशा हो। यह भी कहा गया कि अभियुक्त की सहायता करने, उकसाने या दुष्प्रेरित करने की मंशा का होना धारा 306 को आकर्षित करने के लिए अनिवार्य है।

20. ***अमलेंदु पाल उर्फ झांटू*** बनाम ***पश्चिम बंगाल राज्य***, (2010) 1 एससीसी 707 में इस न्यायालय ने यह कहा कि पीड़िता के साथ किया गया उत्पीड़न ऐसा होना चाहिए कि उसने पीड़िता को अपने जीवन का अंत करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प न छोड़ा हो।

21. ***<u>एम. मोहन</u>*** बनाम ***<u>राज्य</u>***, (2011) 3 एस.सी.सी. 626 में, इस न्यायालय ने ***<u>रमेश कुमार</u>*** बनाम ***<u>छत्तीसगढ़ राज्य</u>***, (2001) 9 एस.सी.सी. 618 के निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत का अनुसरण किया, जिसमें निम्नलिखित कहा गया था:

> "**41.** इस न्यायालय ने रमेश कुमार मामले के एस.सी.सी. पैरा 20 में "उकसावे" के विभिन्न अर्थों की व्याख्या की है। पैरा 20 इस प्रकार है: (एस.सी.सी. पृष्ठ 629)
>
> > "20. उकसावे का अर्थ है–किसी 'कृत्य' को करने के लिए उकसाना, आगे बढ़ाना, भड़काना, प्रेरित करना या प्रोत्साहित करना। उकसावे की आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे वास्तविक शब्दों का प्रयोग ही किया जाए या उकसावे का स्वरूप अनिवार्यतः और विशिष्ट रूप से परिणाम की ओर संकेत करता हो। तथापि, परिणाम को भड़काने की युक्तिसंगत निश्चितता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होनी चाहिए। वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जहाँ अभियुक्त ने अपने कृत्यों या चूकों द्वारा या निरंतर आचरण के माध्यम से ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की हों कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प न बचा हो, जिससे उकसावे का अनुमान लगाया जा सके। आवेग या भावना की स्थिति में, परिणामों को वास्तव में घटित करने की मंशा के बिना कहे गए शब्दों को उकसावा नहीं कहा जा सकता।"
>
> उक्त मामले में इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य या सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे यह अनिवार्य रूप से निष्कर्ष निकाला जा सके कि अभियुक्त-अपीलकर्ता ने सीमा (उस मामले में पत्नी) की आत्महत्या में दुष्प्रेरण किया था।"
>
> इसके पश्चात्, इस न्यायालय ने ***मोहन (उपर्युक्त)*** मामले में यह निर्णय दिया:-
>
> "**45.** विधानमंडल की मंशा तथा इस न्यायालय द्वारा निर्णयित मामलों का अनुपात स्पष्ट है कि धारा 306 भा.दं.सं. के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध ठहराने के लिए स्पष्ट आपराधिक आशय का होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, ऐसा सक्रिय या प्रत्यक्ष कृत्य भी होना चाहिए, जिसके कारण मृतक को कोई विकल्प न दिखे और वह आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाए, तथा यह कृत्य इस आशय से किया गया हो कि मृतक को ऐसी स्थिति में धकेला जाए कि वह आत्महत्या कर ले।"

22. इस न्यायालय ने ***<u>महेंद्र अवासे</u>*** बनाम ***<u>मध्यप्रदेश राज्य,</u>*** 2025 आई.एन.एस.सी. 76 में, दीर्घकालिक पूर्ववृत्तों का विश्लेषण करने के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय दिया है:

> "**18.** जैसा कि ऊपर कहा गया है, उकसावे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अभियुक्त द्वारा अपने कृत्य या चूक या निरंतर आचरण से ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जानी चाहिए कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अतिरिक्त कोई विकल्प न बचे। यह भी कहा गया कि आवेग और भावना की स्थिति में, परिणामों को वास्तव में घटित करने की मंशा के बिना कहे गए शब्दों को उकसावा नहीं कहा जा सकता।"

23. उपर्युक्त प्रतिपादित परीक्षणों को लागू करते हुए, हम स्वयं को यह मानने के लिए राज़ी नहीं कर पाते कि जब अपीलकर्ता के परिवार और पीड़िता के परिवार के बीच तीखी बहसें हुईं, तब किसी भी परिवार के किसी सदस्य को अपना जीवन समाप्त करने के लिए दुष्प्रेरित करने की कोई मंशा थी। ऐसे झगड़े दैनिक जीवन में होते रहते हैं, और तथ्यों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते कि अपीलकर्ता की ओर से ऐसा कोई उकसावा था कि पीड़िता के पास आत्महत्या करने के अतिरिक्त कोई विकल्प न बचा हो।

24. उपर्युक्त विवेचना के आलोक में, हम यह पाते हैं कि अपीलकर्ता धारा 306 के अंतर्गत अपराध की दोषी नहीं है। हम उसे धारा 306 के आरोप से बरी करते हैं। परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है और कर्नाटक उच्च न्यायालय, कलबुर्गी पीठ, कलबुर्गी द्वारा आपराधिक अपील संख्या 3658/2011 में दिनांक 27.04.2018 को पारित विवादित निर्णय को निरस्त किया जाता है। अपीलकर्ता जमानत पर है। उसकी जमानत बंधपत्र समाप्त माने जाते हैं।

मामले का परिणाम: अपील स्वीकार की जाती है।

[†]शीर्ष टिप्पणियाँ दिव्या पांडेय द्वारा तैयार की गईं।

[*]यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल अनुवादक (झारखंड उच्च न्यायालय, रांची) द्वारा किया गया।